



राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2023/1298-322 जयपुर, दिनांक: 21/02/2024

अधिसूचना

जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से प्राप्त खरीफ फसल सम्बत-2080 (वर्ष 2023) में दिनांक 17.05.2023 को हुई ओलावृष्टि से खरीफ फसल खराबे की विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा जिला श्रीगंगानगर की तहसील सादूलशहर के निम्नलिखित 10 ग्रामों में खरीफ फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक, किन्तु 50 प्रतिशत से कम खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 29 फरवरी, 2024 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	अभावग्रस्त घोषित गांवों के नाम
1	13 केसएडी
2	16 केसएडी
3	19 केसएडी
4	21 केसएडी
5	22 केसएडी
6	23 केसएडी
7	24 केसएडी
8	25 केसएडी बी
9	26 केसएडी
10	1 एसडीएस

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature valid

RajKaj Ref
5708897

(1)



Digitally signed by Rajeshwar
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.02.21 17:58:44 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता- खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं. 0141-2227230
ई-मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

ओम्बुड्समैन



क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2023/1238 -322जयपुर,दिनांक:21.02.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
17. संम्भागीय आयुक्त, बीकानेर, राजस्थान।
18. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर, राजस्थान।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
20. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
21. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
22. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
23. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
24. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
25. सामान्य शखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref
5708897

(2)

Digitally signed by Jagdish Rajeshwar
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.02.21 17:58:44 IST
Reason: Approved